'सहकार से समृद्धि' मिशन होगा साकार

– अमित शाह

सामुदायिक स्तर पर कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों की माँगों को पूरा करने के लिए सहकारी समितियों को बहुउद्देश्यीय और बहु–आयामी सामुदायिक व्यावसायिक इकाइयों में बदलने का समय आ गया है। भारत की सर्व–समावेशी सामाजिक–आर्थिक प्रगति के लिए सहकारिता विकास पर त्वरित, समयबद्ध एवं व्यापक और परामर्शी कार्ययोजना की आवश्यकता है। यह कार्य कठिन प्रतीत होता है लेकिन प्राप्य है। केंद्र और राज्य सरकारों, सहकारिता आंदोलनों के नेताओं और संघीय प्रमुखों के सामूहिक प्रयास निःसंदेह हम सभी को 'सहकार से समृद्धि' के लक्ष्य को प्राप्त करने के निकट लाएंगे।

'सहकारिता' में मानव सभ्यता' के दो महत्वपूर्ण सिद्धांत सम्मिलित हैं – 'सह' और 'कार्य' जिसका अर्थ है एक सर्व–समावेशी पद्धति के अनुरूप परिणाम–उन्मुख गतिविधियों की उपलब्धि। सहकारी समितियों के पास जनसाधारण को आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं सुलभ कराने और एक स्थायी और उन्नत विकास सुनिश्चित करने की अपार क्षमताएं हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सात दशकों में राज्यों में सहकारी समितियों का असमान वितरण देखा गया है जो सहकारिता आंदोलन के विस्तार की अपार संभावना को दर्शाता है। सहकारी समितियों के योगदान का हमारे प्रधानमंत्री के पांच ट्रिलियन डॉलर की भारतीय अर्थव्यवस्था की लक्ष्य प्राप्ति पर कई गुना प्रभाव पड़ेगा। सामुदायिक स्तर पर कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों की माँगों को पूरा करने के लिए सहकारी समितियों को बहुउद्देश्यीय और बहु–आयामी सामुदायिक व्यावसायिक इकाइयों में बदलने का समय आ गया है। भारत की सर्व–समावेशी सामाजिक–आर्थिक प्रगति के लिए सहकारिता विकास पर त्वरित, समयबद्ध एवं व्यापक और परामर्शी कार्ययोजना की आवश्यकता है। यह कार्य कठिन प्रतीत होता है लेकिन प्राप्य है। केंद्र और राज्य सरकारों, सहकारिता आंदोलनों के नेताओं और संघीय प्रमुखों के सामूहिक प्रयास निःसंदेह हम सभी को 'सहकार से समृद्धि' के लक्ष्य को प्राप्त करने के निकट लाएंगे।

परिचय और पृष्ठभूमि

'सहकारिता' सदियों से हमारे राष्ट्र की विचारधारा का अभिन्न अंग रही है। भारत सहकारी नेतृत्व वाली समग्र सामाजिक–आर्थिक प्रगति के लिए प्रयासरत है। देश के सहकारी क्षेत्र ने हमेशा अपने सदस्य–संचालित और सर्व–समावेशी दृष्टिकोण के साथ देश के समग्र आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। इसमें कृषि और औद्योगिक आगत सेवाओं, सिंचाई, विपणन, प्रसंस्करण और सामुदायिक भंडारण जैसी विभिन्न महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं और मुर्गीपालन, मत्स्य पालन, बागवानी, डेयरी, वस्त्र उद्योग, उपभोक्ता, आवास, स्वास्थ्य आदि से संबंधित कई अन्य गतिविधियों के लिए वस्तुओं व सेवाओं को समय पर, पर्याप्त और गंतव्य स्थल (डोर–स्टेप) पर पहुँचाने की गति को बढ़ाने के लिए समुचित और ठोस प्रयास सुनिश्चित करने की आवश्यक क्षमता है।

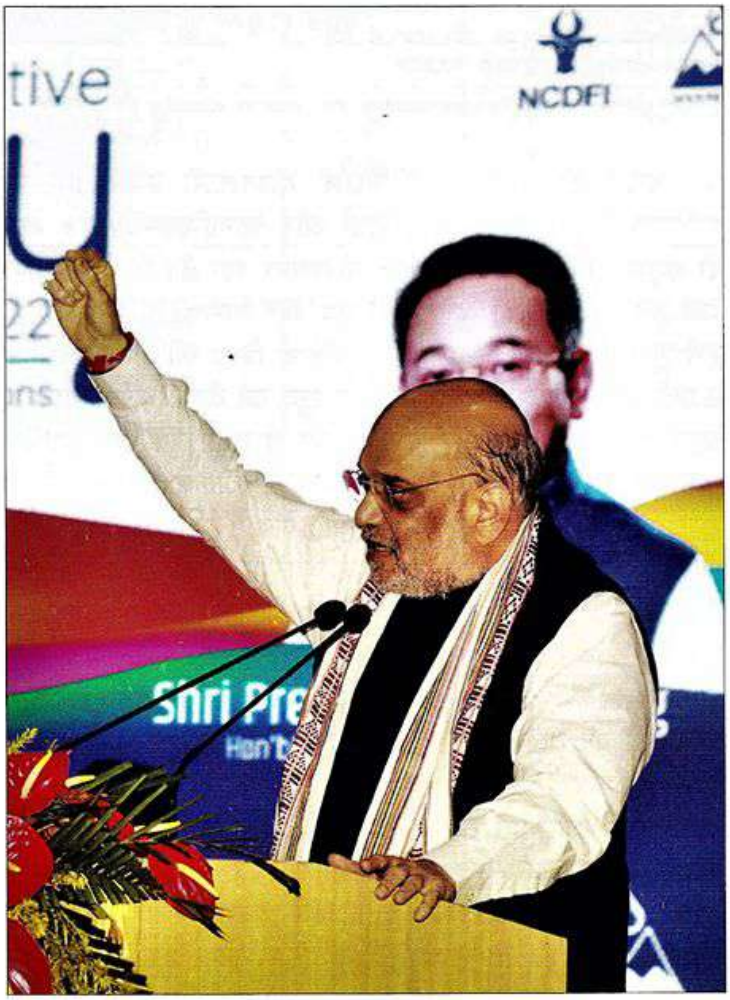

लेखक भारत सरकार में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।
ई–मेल: minister-coop@gov.in

तालिका–1: सहकारिता के सात स्वर्णिम सिद्धांत

1	स्वैच्छिक और खुली सदस्यता	सहकारी समितियां स्वैच्छिक संगठन हैं जहां सदस्यता बिना किसी पक्षपात के सभी व्यक्तियों के लिए खुली है।
2	सदस्यों का लोकतांत्रिक नियंत्रण	सहकारी समितियां सदस्य–संचालित और सदस्य–नियंत्रित लोकतांत्रिक इकाइयां हैं। सदस्य अपनी नीतियों को निर्धारित करने और निर्णय लेने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। प्राथमिक सहकारी समितियों में सदस्यों को 'एक सदस्य–एक वोट' के मानदंड के अनुरूप समान मतदान अधिकार होते हैं।
3	सदस्यों की आर्थिक भागीदारी	सदस्य अपनी आर्थिक गतिविधियों के लिए अपनी सहकारी समिति की पूंजी में समान रूप से योगदान देते हैं और उसका नियंत्रण और उपयोग करते हैं।
4	स्वायत्तता और स्वतंत्रता	सहकारी समितियां स्वायत्त संगठन हैं और लोकतांत्रिक नियंत्रणों के माध्यम से अपनी सहकारी स्वायत्तता बनाए रखने के लिए स्वयं सहायता में विश्वास करती हैं।
5	शिक्षा, प्रशिक्षण और सूचना	सहकारी समितियां अपने सदस्यों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, प्रबंधकों और कर्मियों को अपनी इकाइयों की विकास मुहिमों को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करती हैं।
6.	सहकारी समितियों के बीच सहयोग	सहकारी समितियां अपने सदस्यों को कुशल सेवा सहायता प्रदान करती हैं और स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संरचनाओं के माध्यम से साथ मिलकर काम करके सहकारिता आंदोलन को मज़बूत करती हैं।
7	समुदाय के लिए सरोकार	सहकारी समितियों का एक प्रमुख उद्देश्य उचित नीतिगत उपायों को अपनाकर अपने समुदायों के लिए सतत विकास सुनिश्चित करना है।

स्रोतः अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन
[http://www.ica.coop/en/cooperatives /cooperative-identity पर उपलब्ध]

भारत को आज अपनी पिछली गौरवशाली उपलब्धियों पर अभिमान है और वह अभाव–मुक्त और सामाजिक–आर्थिक रूप से समृद्ध वातावरण बनाने के मार्ग तलाश रहा है। ऐसे समय पर जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव और भारत@75 मना रहे हैं, हमें सहयोग के रचना–तंत्र के माध्यम से विश्व की अर्थव्यवस्था में अग्रणी स्थान हासिल करने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। सहकारी समितियों को सार्वभौमिक रूप से सामाजिक और आर्थिक नीति के एक आवश्यक साधन के रूप में स्वीकार किया जाता है और इनमें आजीविका सुरक्षा और रोज़गार में वृद्धि के साथ समग्र आर्थिक समृद्धि के प्रयासों को मज़बूत करने की क्षमता निहित है। इनमें जनसाधारण के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को प्रदान करने और एक स्थायी एवं उन्नत विकास वातावरण सुनिश्चित करने की अपार संभावनाएं हैं। हमें अपनी सहकारी समितियों की ताकत की सराहना करनी चाहिए और उसे मान्यता देनी चाहिए। ये पूंजी–केंद्रित संगठनों के बजाय जन–केंद्रित संगठन हैं और अपने सामूहिक प्रयासों के माध्यम से एकजुटता के साथ–साथ समुदाय–स्तर पर व्यावसायिक समझ–बूझ पैदा करते हैं और सामाजिक सामंजस्य बढ़ाते हैं। ये सात स्वर्ण सिद्धांतों से संचालित होते हैं। (तालिका–1)

नए मंत्रालय का गठन – एक ऐतिहासिक कदम

भारत में सहकारी समितियों का समृद्ध इतिहास रहा है। कम ही लोगों को ज्ञात होगा कि भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ज़मीनी स्तर पर विभिन्न महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान करते हुए सहयोग की मूल विचारधारा का पालन करते थे। उनके पथ–प्रदर्शक कार्यों में देश में डेयरी सहकारी आंदोलन का प्रसार शामिल है जब श्री त्रिभुवनदास पटेल के माध्यम से उन्होंने आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड (अमूल) की संस्थापना की और यह कार्य, सामूहिक, प्रयासों के माध्यम से, किसान सहकारी समितियों का गठन, दूध का उत्पादन और विपणन करके संभव हुआ। सरदार पटेल की यह छोटी पहल अब एक अंतर्राष्ट्रीय डेयरी ब्रांड बन गया है।

सहकारिता का समृद्ध भारतीय इतिहास और इस क्षेत्र की अंतर्निहित सामाजिक–आर्थिक क्षमता के बावजूद पिछले 74 वर्षों की स्वतंत्र शासन प्रणाली के दौरान यह राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग संचालन संरचना सुनिश्चित नहीं कर सकी। इस लिहाज से भारत के सहकारिता क्षेत्र के लिए 6 जुलाई, 2021 हमेशा के लिए

> भारत के सहकारिता क्षेत्र के लिए 6 जुलाई, 2021 हमेशा के लिए एक ऐतिहासिक दिन माना जाएगा। इस दिन देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक दृढ़ निर्णय लिया और समस्त देश में सहकारिता आंदोलन के विकास को सक्षम बनाने और विस्तार प्रदान करने के लिए भारत में पहली बार सहकारिता मंत्रालय का गठन किया।

एक ऐतिहासिक दिन माना जाएगा। इस दिन देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक दृढ़ निर्णय लिया और समस्त देश में सहकारिता आंदोलन के विकास को सक्षम बनाने और विस्तार प्रदान करने के लिए भारत में पहली बार सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। हम सहकारी क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दों को उचित नीतिगत मान्यता देने के लिए एक पृथक मंत्रालय बनाने की काफी समय से लंबित मांग को पूरा कर सके।

सहकारिता मंत्रालय के सहकारी समितियों को एक सहायक और सक्षम नीतिगत ढाँचा प्रदान करने के उद्देश्य बहुत स्पष्ट हैं। 1904–05 के सहकारिता कानून एक शताब्दी से भी अधिक पुराने हैं। सहकारिता की विचारधारा हमारे लिए नयी नहीं है और भारत की सभ्यता और समाज सहकारिता के सिद्धांतों पर विकसित हुए हैं। हम पाते हैं कि महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रों के हर भाग में कार्य सहयोग की विचारधारा के इर्द–गिर्द होता है। साथ ही, सहकारी समितियों ने ग्रामीण विकास के लिए एक आर्थिक मॉडल बनाने और गरीब लोगों को रोज़गार प्रदान करने में एक बड़ी भूमिका निभायी है ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें। स्वतंत्रता आन्दोलन के लिए कुछ स्थानों पर सहकारिता की मदद से ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक नया आर्थिक मॉडल तैयार करने का प्रयास किया गया था। स्वतंत्रता के तुरंत बाद, विशेष रूप से सरदार पटेल के प्रयासों, से सहकारिता आंदोलन ने देश के विभिन्न भागों में अपने पंख पसारते हुए अधिक गति प्राप्त की। लेकिन यदि हम कालानुक्रमिक रूप से देखें तो सहकारिता आंदोलन 1960–70 के दशक के आसपास गतिहीन हो गया था। साथ ही, राज्यों में सहकारी क्षेत्र की वृद्धि एक समान नहीं थी जिसके कारण कुछ क्षेत्रों में सहकारी समितियों की संख्या अधिक हो गई।

एनसीयूआई 2018 के आँकड़ों के अनुसार 739 ज़िलों में 8.54 लाख सहकारी समितियां मौजूद हैं (तालिका–2)। तालिका में प्रस्तुत ज़िलेवार आँकड़ों से 20 प्रमुख राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में सहकारिता आंदोलन का अनियमित और असमान प्रसार स्पष्ट देखा जा सकता है। प्रति ज़िले में औसतन 1,156 सहकारी समितियां हैं। एक तरफ सात राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और केरल में सहकारी समितियों की संख्या सहकारी समितियों के राष्ट्रीय औसत से अधिक है। दूसरी तरफ, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में सहकारी समितियों की संख्या राष्ट्रीय औसत से कम है। यह इन राज्यों के लिए सामूहिक संगठनों की शक्ति को समझने और विविध गतिविधि–आधारित सहकारी समितियों के पंजीकरण के माध्यम से सामाजिक संघटन की गतिविधियों की गति बढ़ाने के अवसर प्रदान करता है जिससे समुदाय–स्तर पर सामूहिक सामाजिक–आर्थिक लाभ साकार हों और वे 'सहकार से समृद्धि' के वृहद् लक्ष्य को प्राप्त करने में एक सक्रिय उत्प्रेरक बनें।

तालिका–2: भारत में चुनिंदा 20 प्रमुख राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में सहकारी समितियों की मौजूदगी

क्र. सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	सहकारी समितियों की मौजूदगी** (लाख में)	ज़िलों की संख्या	सहकारी समितियां प्रति ज़िला
1	2	3	4	5
1	महाराष्ट्र	2.059	36	5719
2	गुजरात	0.776	33	2350
3	आंध्र प्रदेश	0.732	26	2816
4	तेलंगाना	0.652	34	1916
5	कर्नाटक	0.409	29	1412
6	पश्चिम बंगाल	0.337	25	1346
7	केरल	0.193	14	1376
8	हरियाणा	0.246	22	1117
9	बिहार	0.392	38	1031
10	मध्य प्रदेश	0.474	52	912
11	राजस्थान	0.285	33	862
12	पंजाब	0.174	22	793
13	तमिलनाडु	0.245	38	644
14	उत्तर प्रदेश	0.482	76	634
15	ओडिशा	0.173	30	578
16	झारखंड	0.139	24	577
17	उत्तराखंड	0.056	13	433
18	छत्तीसगढ़	0.114	27	421
19	असम	0.102	33	310
20	जम्मू और कश्मीर	0.020	20	101
	अखिल भारतीय	8.544	739	1156

स्रोत:$ http://igod.gov.in/sg/district/states और **एनसीयूआई, 2018 से संकलित

एक समान विस्तार और आउटरीच सुनिश्चित करना

'सहकार से समृद्धि' मिशन का उद्देश्य सहकारी समितियों का एक समान और व्यापक विकास सुनिश्चित करना है। प्रारम्भिक प्रयास कुछ इस प्रकार होने चाहिए कि भारत के प्रत्येक गाँव में एक प्राथमिक समिति और एक प्राथमिक सहकारी ऋण समिति हो जो एक नज़दीकी सहकारी बैंक से जुड़ी हो। जहां भी संभव हो, सहकारी समितियों की व्यापक पहुँच होनी चाहिए और जहां भी

संभावना हो, उन्हें बढ़ावा दिया जाना चाहिए, गठित और पोषित किया जाना चाहिए। मत्स्य पालन, कृषि प्रसंस्करण, प्राथमिक उत्पादन, आवास और निर्माण जैसे क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने की संभावना है। इसी तरह, स्वास्थ्य, चिकित्सा, बीमा और वस्त्र उद्योग जैसे कुछ अन्य क्षेत्रों में भी अपार संभावनाएं हैं। सहकारी व्यवसाय मॉडल खादी एवं ग्रामोद्योगों को बदल सकता है और विकसित तथा विकासशील राज्यों में आय और रोज़गार वृद्धि में समानता ला सकता है।

राज्यों में सहकारी आंदोलन का असमान प्रसार स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है और उसी के अनुसार उन्हें विकसित, विकासशील और कमज़ोर राज्यों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला मामला विकसित राज्यों का है जहां सहकारी क्षेत्र में उचित प्रगति हुई है लेकिन कुछ अंतर्निहित कमियों को दूर करने के लिए सुधार की बहुत बड़ी गुंजाइश है। कुछ राज्य ऐसे हैं जो विकासशील श्रेणी में हैं और कुछ हद तक गिरावट को रोकने में कामयाब रहे हैं और उन्हें विकास के लिए अधिक नीतिगत सहायता की दरकार है। अंत में, कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो बेहद पिछड़ रहे हैं। यहां सहकारी समितियों की उपस्थिति न के बराबर है और अधिकांश संस्थानों की स्थिति शोचनीय है। ओडिशा, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, असम आदि को सहकारिता के आधार में विस्तार सुनिश्चित करने और विकास के अपने पूर्ववर्ती मॉडल और सामाजिक तथा आर्थिक कल्याण को अधिकतम करने के लिए अपनाई गई गतिविधियों का व्यापक विश्लेषण करने की आवश्यकता है। समय आ गया है कि राज्य अपनी सहकारी समितियों को सामुदायिक स्तर पर कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की मांगों को पूरा करने के लिए बहुउद्देशीय और बहु–आयामी सामुदायिक व्यवसाय इकाइयों में बदल दें।

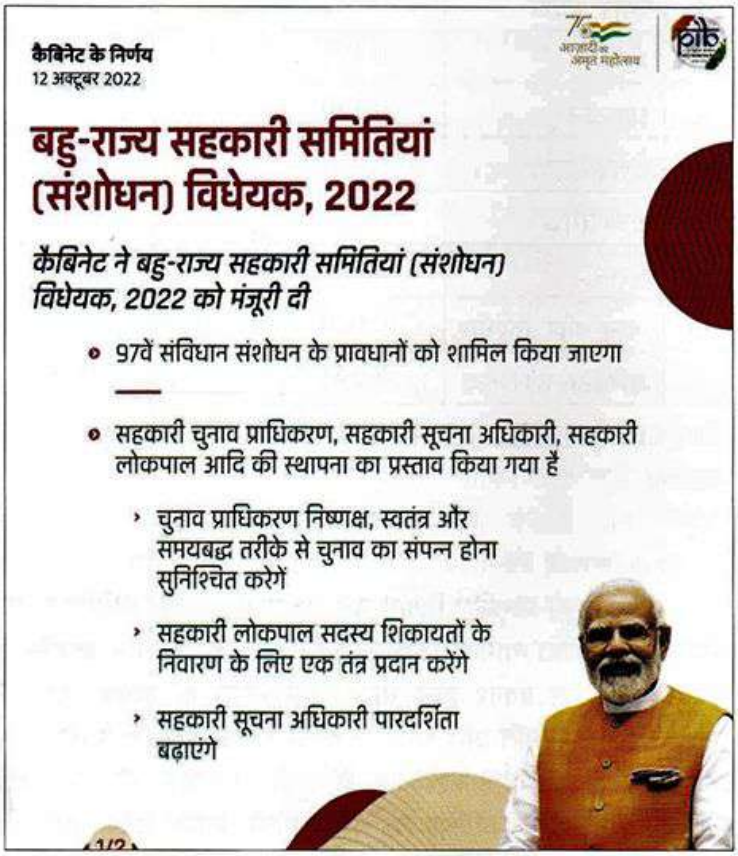

इस परिप्रेक्ष्य में हमें इस जन आंदोलन को मज़बूत बनाने की दिशा में अपने ठोस प्रयासों पर ध्यान देने के साथ–साथ उन्हें दृढ़ता प्रदान करनी चाहिए। अगले दो दशकों में हमारे प्रयासों से सहकारी समितियों को देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने में सक्षम होना चाहिए। यह एक सुस्थापित तथ्य है कि केवल सहकारी समितियां ही मुनाफे को समान रूप से वितरित कर सकती हैं और अपने सभी सदस्यों को लाभ पहुँचा सकती हैं। अन्य व्यावसायिक मॉडलों के विपरीत सहकारी समितियों के अधिशेष से अधिकतम लाभ शेयरधारकों को मिल सकता है और वह भी प्रबंधन लागत पर न्यूनतम व्यय से।

सहयोग और आर्थिक सशक्तीकरण

सहकारी मॉडल हमारे समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को आर्थिक विकास में सबसे आगे ला सकता है और व्यापक आर्थिक समृद्धि का सृजन कर सकता है। लिज्जत पापड़, अमूल और कर्नाटक जैसे दक्षिणी राज्यों में दुग्ध सहकारी समितियां और कई अन्य अनेक उल्लेखनीय उदाहरण हैं जिन्होंने समाज के उपेक्षित वर्गों के लाखों लोगों को आर्थिक रूप से समृद्ध किया है। स्वर्गीय श्री त्रिभुवनदास पटेल द्वारा शुरू की गई एक छोटी डेयरी समिति आज भारत के सबसे बड़े खाद्य और एफएमसीजी (तेजी से बिकने वाली उपभोक्ता वस्तुएं) दिग्गज 'अमूल' में बदल गई है और इसने लाखों महिलाओं के जीवन को बदल दिया है। यह महिला सशक्तीकरण की एक साक्षात मिसाल है जहां महिला डेयरी किसानों के बैंक खातों में 60,000 करोड़ रुपये सीधे भेजे जाते हैं।

सहकारिता के माध्यम से नए उद्यमों में कदम

बीमा, स्वास्थ्य, पर्यटन, प्रसंस्करण, भंडारण, औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों आदि जैसे नए और उभरते क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सहकारी समितियों के प्रवेश को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। सहकारिता आंदोलन सभी गाँवों तक पहुँचना चाहिए और इसे एक जन–आंदोलन में बदलना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रालयों से आज़ादी के 75वें वर्ष में अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करने का आग्रह किया है। आइए, हम एक लक्ष्य तय करें कि अगले 10 वर्षों में हर गाँव में एक दुग्ध समिति और एक ऋण समिति होगी जो विकास सक्षम और कार्यशील होंगी। आइए, हम भी एक और लक्ष्य निर्धारित करें कि प्रत्येक गाँव में कोई न कोई प्राथमिक समिति हो या समुदाय में ही अन्य व्यापक सहकारी व्यावसायिक गतिविधियां हों। यदि भारत ऐसा कर सकता है तो ये इकाइयां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं और लाखों गरीब और हाशिए पर रहने वाले वर्गों के जीवन में सुधार ला सकती हैं जो अक्सर पीछे छूट जाते हैं।

प्रभावी सहकारिता के लिए चुनौतियों से निपटना

हालांकि सहकारिता सशक्तीकरण के मुद्दों के समाधान का सर्वोत्तम मार्ग है, इन इकाइयों को आधुनिक समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए। इस क्षेत्र में विकास की राह में आने वाली बाधाओं का हल खोजना होगा और इसके लिए कई नीतिगत और प्रशासनिक परिवर्तनों की आवश्यकता होगी। इस संबंध में सर्वप्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है–पारदर्शिता की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। इससे छोटे किसानों का सहकारिता में विश्वास बहाल होगा। हमें इस क्षेत्र को मज़बूत करने के लिए कानून और सहकारी सिद्धांतों के मुताबिक चलने की ज़रूरत है। यह निष्पक्ष और नियमित चुनाव कराने की भी मांग करता है। हमें लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करने की आवश्यकता है जो सर्वश्रेष्ठ लोगों का सहकारी समितियों में शामिल किया जाना सुनिश्चित करेगा। चुनाव जैसी सहकारी गतिविधियों के संचालन में लोकतांत्रिक तरीकों और साधनों को और अधिक दृढ़तापूर्वक एवं सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है।

सहकारी क्षेत्र को व्यावसायिकता की ओर बढ़ने की ज़रूरत है और कॉर्पोरेट प्रशासन के सिद्धांतों पर खुद को संचालित करना चाहिए। हमारे देश में इफको, अमूल आदि जैसे कई ऐसे मॉडल हैं जिन्होंने सहकारिता की विचारधारा को बरकरार रखते हुए कॉर्पोरेट प्रशासन मूल्यों की ताकत को आत्मसात किया है। हमें ऐसे मॉडल बनाने होंगे जो सहकारिता के मूल्यों और कॉर्पोरेट प्रशासन के विवेकपूर्ण समावेश के अनुरूप हों। यह कदम पारदर्शिता, जवाबदेही, व्यावसायिकता और सुदृढ़ प्रशासन सुनिश्चित करेगा। साथ ही, सहकारी संस्थानों को बेहतर बुनियादी ढांचे और अपनी ज़रूरतों जैसे संयत्रों और उपकरणों के लिए व्यावसायिक ऋण और कार्यशील पूंजी तक पहुँच की आवश्यकता है।

सहकारी संघवाद–एकमात्र विकल्प

वर्तमान संवैधानिक ढांचे के प्रावधान सर्व–समावेशी तरीके से सहकारी समितियों को बढ़ावा देने और उनके पोषण की सुविधा प्रदान करते हैं। राज्यों के साथ मिलकर काम करते हुए सहकारिता आंदोलन को विकसित करने की हमारी योजनाओं में इनकी ओर से कभी भी अड़चन नहीं आई है। 'सहयोग' राज्य का विषय है और राज्य सहकारी समितियां राज्य विशिष्ट विधानों द्वारा शासित होती हैं। बहु–राज्य स्तरीय सहकारी समितियों का प्रबंधन केंद्र सरकार का दायित्व है। हम केंद्र और राज्यों के बीच रचनात्मक और निरंतर संवाद के माध्यम से बहुत सारे कार्य संपन्न कर सकते हैं और अपनी कार्य पद्धतियों में सहयोग के सिद्धांतों को आत्मसात कर सकते हैं। यदि हम अपेक्षा करते हैं कि सहकारी आंदोलन सभी राज्यों में समान रूप से विस्तार करें तो हमें राज्यों के साथ एक साझा मंच पर आने और सहकारी समितियों के लिए सामूहिक रूप से एक सक्षम वातावरण बनाने की आवश्यकता है। निरंतर संवाद और परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से भारत सभी राज्यों में सहकारी विधानों में अधिक एकरूपता प्राप्त कर सकता है।

यद्यपि 97वां संविधान संशोधन सहकारी क्षेत्र की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है, केंद्र सरकार देश में सहकारी आंदोलन में परिवर्तन लाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाएगी। केंद्र और राज्यों, दोनों का अधिकार क्षेत्र स्पष्ट होना चाहिए और हमारे संविधान के मूल सिद्धांतों के अनुसार होना चाहिए। बहु–राज्य स्तरीय सहकारी समिति केंद्र का विषय हैं और राज्य सहकारी समितियां

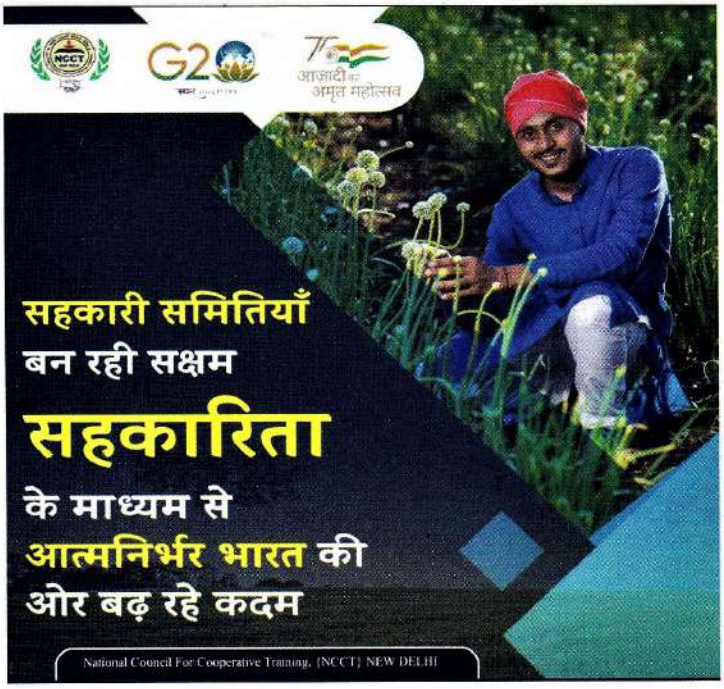

राज्यों के अधीन हैं। राज्यों के साथ इस तरह के संवाद, चर्चा और विचार–विमर्श में शामिल होना और सहकारी समितियों के लिए एक सक्षम कानूनी ढाँचा तैयार करना सहकारिता मंत्रालय की ज़िम्मेदारी होगी।

नई सहकारिता नीति की योजना

भारत में 8.5 लाख सहकारी इकाइयां हैं जिनमें से 20 प्रतिशत (1.77 लाख इकाइयां) ऋण सहकारी समितियां हैं। शेष 80 प्रतिशत गैर–ऋण सहकारी समितियां हैं जो विविध कार्यकलापों में शामिल हैं जैसे मत्स्य पालन, डेयरी, उत्पादन, प्रसंस्करण, उपभोक्ता, औद्योगिक, विपणन, पर्यटन, अस्पताल, आवास क्षेत्र, परिवहन, श्रम क्षेत्र, कृषि, सेवा क्षेत्र, पशुधन, बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियां आदि। भारत के कुल गाँवों में से 91 प्रतिशत में मौजूद लगभग 96,000 प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (पीएसी) में से 63,000 (65 प्रतिशत) सुगठित और सक्रिय हैं। सहकारिता में प्रौद्योगिकी का विकास समय की माँग है। पीएसी का कम्प्यूटरीकरण बेहद आवश्यक है।

लगभग 13 करोड़ कृषक परिवार सहकारी समितियों से सीधे जुड़े हुए हैं। यह सहकारिता आंदोलन की ताकत को दर्शाता है। हमारी नीतियां और कार्य सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए इन संस्थाओं के विशाल नेटवर्क का लाभ उठा सकते हैं। पुनर्गठन द्वारा इन संस्थाओं की समृद्धि और व्यावसायिक सक्षमता बढ़ाने के लिए हमें कदम उठाने की आवश्यकता है। हमें उन्हें विभिन्न योजनाओं, नीतियों द्वारा प्रोत्साहन और प्रौद्योगिकी के प्रावधान के माध्यम से सशक्त बनाने की आवश्यकता है। देश की अर्थव्यवस्था में सहकारी समितियों का योगदान प्रभावशाली रहा है। कुल वित्त व्यवस्था में सहकारी कृषि वित्त का हिस्सा लगभग 25 प्रतिशत, उर्वरक वितरण में 35 प्रतिशत, उर्वरक उत्पादन में 25 प्रतिशत, चीनी उत्पादन में 31 प्रतिशत, दूध खरीद, उत्पादन और विपणन में लगभग 25 प्रतिशत, गेहूं खरीद में 13 प्रतिशत, धान में 20 प्रतिशत, मछली उत्पादन में 21 प्रतिशत है। इस मज़बूत आधार पर एक जीवंत और सशक्त सहकारी क्षेत्र का निर्माण करने की आवश्यकता है। नई सहकारिता नीति और उपयुक्त सरकारी प्रयासों के माध्यम से सभी अवरोधों को दूर करने की आवश्यकता है। सहकारिता से समृद्धि प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण नीति मानदंड (4 पी तथा 3 ई) तालिका–3 में दिए गए हैं।

नई सहकारिता नीति के आयाम

सहकारिता नीति की समीक्षा करने का यह सही समय है। मौजूदा राष्ट्रीय सहकारिता नीति 20 साल पुरानी है। सहकारिता मंत्रालय ने अगले 8–9 महीनों के भीतर एक नई सहकारिता नीति को अंतिम रूप देने के लिए संवाद और परामर्श आरंभ कर दिया है। यह नीति पीएसी से लेकर शीर्ष सहकारी समितियों तक सभी सहकारी समितियों की आवश्यकताओं पर विचार करेगी। यह एक ऐसा माहौल तैयार करेगी जिससे सहकारी समितियों का विस्तार हो सकेगा और विकास के नए आयामों का उदय होगा। हमें नए क्षेत्रों को तलाशने और सहयोग के तौर–तरीकों से 'टीम' (TEAM) भावना के साथ काम करने की आवश्यकता है – जहां 'टी' 'ट्रांसपेरेंसी (पारदर्शिता') का द्योतक है, 'ई' का अर्थ एम्पॉवरमेंट ('सशक्तीकरण) है, 'ए' का अर्थ 'आत्मनिर्भरता है और 'एम' मॉडर्नाईज़ेशन यानी आधुनिकीकरण' है।

सहकारिता की 'टीम' भावना की व्याख्या

ट्रांसपेरेंसी (पारदर्शिता): सहकारी समितियों को अपने प्रशासन के लिए जवाबदेही के साथ और राजनीति से ऊपर उठकर सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना;

एम्पावरमेंट ('सशक्तीकरण): कृषि और गैर–कृषि गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों का सशक्तीकरण;

आत्मनिर्भर: समुदाय और सामूहिक कार्यकलापों के माध्यम से आत्मनिर्भरता;

मॉडर्नाईज़ेशन '(आधुनिकीकरण'): उत्पादकता और दक्षता बढ़ाने के लिए उचित प्रौद्योगिकी शामिल करना और उसे अविलंब अपनाना।

तालिका–3: सहकारिता से समृद्धि: सात प्रमुख मानदंड

4 पी	3 ई
1. लोगों में परस्पर सहयोग (पीपुल कोऑपरेटिंग पीपुल)	1. व्यवसाय में सुगमता (ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस)
2. लोगों द्वारा उत्पादन (प्रोडक्शन बाय पीपुल)	2 जीवन सुगमता (ईज़ ऑफ लिविंग)
3. लाभ की बजाय लोगों को प्राथमिकता (पीपुल बिफोर प्रॉफिट)	3. सहयोग में सुगमता और अवसरों तक पहुँच (ईज़ ऑफ कोऑपरेशन एंड एक्सेस टू अपोर्चुनिटीज़)
4. उद्देश्य के साथ लाभ (प्रॉफिट विद पर्पस)	

आज पूरे सहकारी क्षेत्र का कम्प्यूटरीकरण अनिवार्य हो गया है और जब तक यह कार्य पूरा नहीं होता, हम सहकारी समितियों के कार्य में दक्षता नहीं ला सकते हैं।

नई सहकारिता नीति के संभावित आयाम निम्नलिखित हो सकते हैं:

(i) असुविधा–मुक्त पंजीकरण के लिए प्रक्रिया तैयार करना।
(ii) प्रशासन, भर्ती और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण और कर्मचारियों के प्रशिक्षण में पारदर्शिता लाना।
(iii) भारत के चुनाव आयोग की तर्ज पर सहकारी समितियों के चुनावों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
(iv) विभिन्न सहकारी संस्थाओं के बीच सहयोग और समन्वय के मुद्दों का समाधान करना।
(v) डेयरी, पीएसी, एफपीओ, महिला सहकारी समितियों आदि जैसे सभी ग्रामीण–स्तरीय संगठनों में उपयुक्त लिंकेज स्थापित करना।
(vi) राज्यों के भीतर सहकारिता कानून में एकरूपता और समानता लाना।

निष्कर्ष और आगे की राह

हमारे प्रिय प्रधानमंत्री के आह्वान 'सहकार से समृद्धि' के लिए त्वरित, समयबद्ध और एक सर्व–समावेशी परामर्शी कार्ययोजना की आवश्यकता है। सहकारी समितियों की प्रगति को सीमित करने वाले विभिन्न मुद्दों को समझने और उपयुक्त रूप से निपटाने की आवश्यकता है। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है – (क) सहकारिता आंदोलन में आंचल/राज्य–स्तरीय और क्षेत्रीय असंतुलन (ख) नियामक जटिलताएं (ग) प्रशासन, नेतृत्व और परिचालन मुद्दे (घ) सहकारी इकाइयों में पेशेवर प्रबंधन की कमी (ड़) आज़माए हुए संरचनात्मक सुधार उपायों की आवश्यकता (च) सहकारी समितियों के बीच सहयोग की कमी, आदि।

सहकारिता आंदोलन के अन्य महत्वपूर्ण आयाम जिन पर पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है, वे हैं –

- सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक और राज्य पंजीयकों के बीच एक प्रभावी संवाद और समन्वय व्यवस्था स्थापित करना;
- सहकारिता सिद्धांतों, लोकतांत्रिक मूल्यों और पारदर्शिता की प्रक्रियाओं का पालन करना;
- बुनियादी ढांचे को मज़बूती प्रदान करना जिसमें इक्विटी(पूंजी) संरचना, विविधीकरण शामिल हैं;
- उद्यमिता, ब्रांडिंग, विपणन को बढ़ावा देना और प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण, शिक्षा का आदान–प्रदान और सदस्यों के प्रशिक्षण को अपनाना;
- नई सहकारी समितियों का गठन एवं उन्हें प्रोत्साहन देना और
- सामाजिक सहकारी समितियों को बढ़ावा देना।

इस तरह के मुद्दों की समय पर पहचान और समाधान हमें एक प्रौद्योगिकी संचालित एकीकृत सहकारी विकास रणनीति तैयार करने में और समुदाय के स्वामित्व वाली व्यावसायिक इकाइयों की

प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने के लिए व्यवहार्य मार्ग तलाशने के लिए प्रेरित करेगा।

सहकारी समितियों के योगदान का हमारे प्रधानमंत्री के पांच ट्रिलियन डॉलर की भारतीय अर्थव्यवस्था और किसानों की आय बढ़ाने की लक्ष्य प्राप्ति पर कई गुना प्रभाव पड़ेगा। ऐसा करने के लिए हमें सर्वप्रथम सामुदायिक स्तर की प्राथमिक सहकारी समितियों को सशक्त बनाने और पुनर्गठित करने की आवश्यकता है। पीएसी को सक्रिय और सक्षम बनाने के लिए हम सभी को अपने नज़रिये में आम सहमति बनानी होगी। सहकारिता मंत्रालय पीएसी को कम्प्यूटरीकृत करने और सहकारी क्षेत्र में अधिक से अधिक प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने की योजना बना रहा है। वही प्रत्येक गाँव में पीएसी की पैठ हमारी सहकारिता नीति का लक्ष्य होना चाहिए। गाँव को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाना और सहकारी समितियों के सदस्यों की आय को दोगुना करना भी सहकारिता नीति का लक्ष्य होना चाहिए। इसके अलावा, नीति में सभी प्रकार की सहकारी संस्थाओं को आर्थिक रूप से मज़बूत बनाने और स्थायित्व प्रदान करने के प्रावधान होने चाहिए।

यह कार्य कठिन प्रतीत होता है लेकिन प्राप्य है। यह केवल केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के नेक इरादों और योजनाओं से ही हासिल नहीं किया जा सकता है। हमें महा उपनिषद् के बहुधा उद्धृत शब्द – **वसुधैव कुटुम्बकम** से प्रेरणा लेनी चाहिए जिसका अर्थ है कि इस धरा पर सभी जीव एक परिवार हैं। इस प्रकार सहकारिता आंदोलन के नेताओं और संघीय प्रमुखों को अग्रणी भूमिका निभानी होगी; अपने ज़िलों का दौरा करने, सदस्यों से बातचीत करने और इस क्षेत्र की बेहतरी के लिए उनमें आशा जगाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। हमारे ये संचयी प्रयास निःसंदेह हम सभी को 'सहकार से समृद्धि' के लक्ष्य को प्राप्त करने के करीब लाएंगे। ❑